प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –1013 / 2022

अनवान : –

1. रामावतार उर्फ रामचन्द्र पुत्र मुन्शीराम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. ललिता देवी पत्नी मुन्शीराम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रोशनी पत्नी मोहरसिंह जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांकः 01.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 532 के ख0न0 319 की 5.5770 हैक्ट भूमि, ख0न0 658 की 4.2360 हैक्ट भूमि, ख0न0 866 की 5.1220 हैक्ट भूमि कुल 1.9350 हैक्ट भूमि में अन्य सहखातेदारान के साथ वादी स0 1 का 1901 / 29870 हिस्सा, वादीया स0 2 का 1901 / 29870 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 254 / 2575 हिस्सा दर्ज है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 533 के ख0न0 855 की 4.2360 हैक्ट भूमि अन्य सहखातेदारों के साथ वादी स0 1 का 1 / 6 हिस्सा वादीया स0 2 का 1 / 6 हिस्सा व प्रतिवादी स0 1 का 31 / 120 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 532 व 533 की सारी भूमि एक साथ है तथा वादीगण अपन हिस्सा की भूमि खाता स0 532 में काश्त करते है तथा खाता स0 533 प्रतिवादी स0 1 काश्त करती है इस प्रकार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 533 में वादी स0 1 का 1901 / 29870 हिस्सा अर्थात 0.9505 हैक्ट, वादीया स0 2 का 1901 / 29870 हिस्सा अर्थात 0.9505 हैक्ट, प्रतिवादी स0 1 का 254 / 2575 हिस्सा अर्थात 1.4732 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 533 में वादी स0 1 का 1 / 6 हिस्सा अर्थात 0.706 हैक्ट, वादीया स0 2 का 1 / 6 हिस्सा अर्थात 0.706 हैक्ट, प्रतिवादी स0 1 का 31 / 120 अर्थात 0.0940 हैक्ट भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी अलग अलग काश्त करते है। उक्त भूमि चिपती हुई है लेकिन खाता स0 532 व 533 अलग अलग होने से काश्त में परेशानी हो रही है। इसलिए खाता स0 533 में रो[illegible]वादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 का 71 / 240 हिस्सा [illegible] 71 / 240 हिस्स दर्ज किया जावें तथा खाता स0 532 में वादीगण का बहिब बराबर 1.0[illegible] हैक्ट कम करके रो[illegible]तिवादीया स0 1 का 254 / 2575 हिस्सा की जगह 2.5672 हैक्ट भूमि तथा वादी स0 1 का 1901 / 29870

[signature] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:15 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा की जगह 0.4035 हैक्ट भूमि वादी स0 2 का 1901/29870 हिस्सा की जगह 0.4035 हैक्ट भूमि दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा खाता स0 532 में प्रतिवादीया को जितनी भूमि दी है अर्थात 1.0940 हैक्ट भूमि बहिब वादीगण ने प्रतिवादीया को दी गयी है तथा उतनी ही भूमि खाता स0 353 से वादीगण ने प्राप्त कर ली है इसी अनुसार कब्जा काश्त है मात्र दो खाते अलग अलग होने से काश्त संबंधी व रिकार्ड संबंधी विवाद पैदा हो गया है इसलिए राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा मय इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमाया जाता है मुझ प्रतिवादीया स0 1 को कोई एतराज नही है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वादीगण द्वारा खाता स0 532 में प्रतिवादीया को जितनी भूमि दी है अर्थात 1.0940 हैक्ट भूमि बहिब वादीगण ने प्रतिवादीया को दी गयी है तथा उतनी ही भूमि खाता स0 353 से वादीगण ने प्राप्त कर ली है इसी अनुसार कब्जा काश्त है मात्र दो खाते अलग अलग होने से काश्त संबंधी व रिकार्ड संबंधी विवाद पैदा हो गया है इसलिए राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रकरण में प्रतिवादीया स0 1 ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 532 के ख0न0 319 की 5.5770 हैक्ट भूमि, ख0न0 658 की 4.2360 हैक्ट भूमि, ख0न0 866 की 5.1220 हैक्ट भूमि कुल 1.9350 हैक्ट भूमि में अन्य सहखातेदारान के साथ वादी स0 1 का 1901/29870 हिस्सा, वादीया स0 2 का 1901/29870 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 का 254/2575 हिस्सा दर्ज है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 533 के ख0न0 855 की 4.2360 हैक्ट भूमि अन्य सहखातेदारों के साथ वादी स0 1 का 1/6 हिस्सा वादीया स0 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी स0 [illegible]/120 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रतिवादीया स0 1 द्वारा जवाब दावा [illegible] किया गया है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीया स0 1 को कोई एतराज नही है। वाद वादीगण प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरुपरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 533 में प्रतिवादी स0 1 का 31/120 हिस्सा अर्थात 1.0940 हैक्ट भूमि में कलमजन कर वादी स0 1 का 1/6 हिस्सा की जगह 71/240 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीया स0 2 का 1/6 हिस्सा की जगह 71/240 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वंत 2072–75 के खाता स0 532 में वादी स0 1 का 1901/29870 हिस्सा अर्थात 0.9505 हैक्ट की जगह 0.4035 हैक्ट तथा वादीया स0 2 का 1901/29870 हिस्सा अर्थात 0.9505 हैक्ट की जगर 0.4035 हैक्ट भूमि रोशनी प्रतिवादीया स0 1 का 254/2575 हिस्सा अर्थात 1.4732 हैक्ट की जगह 2.5672 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/06/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट– मन्दरपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –1013/2022

अनवान : –

1. रामावतार उर्फ रामचन्द्र पुत्र मुन्शीराम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. ललिता देवी पत्नी मुन्शीराम जाति ब्राहमण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. रोशनी पत्नी मोहरसिंह जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1013 सन 2022 दिनांक 01.06.2023 .

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरुपरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 533 में प्रतिवादी स0 1 का 31/120 हिस्सा अर्थात 1.0940 हैक्ट भूमि में कलमजन कर वादी स0 1 का 1/6 हिस्सा की जगह 71/240 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीया स0 2 का 1/6 हिस्सा की जगह 71/240 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 532 में वादी स0 1 का 1901/29870 हिस्सा अर्थात 0.9505 हैक्ट की जगह 0.4035 हैक्ट तथा वादीया स0 2 का 1901/29870 हिस्सा अर्थात 0.9505 हैक्ट की जगह 0.4035 हैक्ट भूमि रोशनी प्रतिवादीया स0 1 का 254/2575 हिस्सा अर्थात 1.4732 हैक्ट की जगह 2.5672 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/06/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मन्दरपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:42:15 IST
Reason: SelfAttested